तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जब्बरसिंह चौपावत पुत्र श्री गुमानसिंह राजपूत मु.पो. रडावास जिला पाली (राज.) **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन प्रथम सूचना अपील संख्या :–69 / 2024 जीसीएमएस नं. :– 2024 / 122 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

08.08.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई ।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन ने जरिये पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 200 दिनांक 26.07.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 49 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति / प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर आपत्ति जाहिर की।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।
6. निर्णय आज दिनांक **08.08.2024** को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली